प्रश्न सं. [क. 638]

तारांकित प्रश्न क्रमांक - 638
माननीया विधायक - श्रीमती रामबाई गोविन्दसिंह
सदन में उत्तर देने का दिनांक 21.02.2019

प्रपत्र "अ"

एल वी 1.2 (ii) 500 वाट तक के संयोजित भार से युक्त ग्रामीण अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों हेतु ऊर्जा प्रभार तथा स्थाई प्रभार (Energy Charge and Fixed charge for un-metered domestic connections having connected load upto 500 वाट) :

विवरण	अमीटरीकृत संयोजनों हेतु प्रतिमाह बिल किये जाने वाले यूनिट तथा ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)
ग्रामीण क्षेत्रों में अमीटरीकृत संयोजन जिनके संयोजित भार 300 वाट से अधिक तथा 500 वाट तक सीमित हैं	75 यूनिट हेतु, 430 पैसे प्रति यूनिट की दर से	75 प्रति संयोजन
ग्रामीण क्षेत्रों में अमीटरीकृत संयोजन जिनके संयोजित भार 200 वाट से अधिक तथा 300 वाट तक सीमित हैं (मय दो कमरों के तथा टेलीवीजन सुविधा धारित करने वाले)	60 यूनिट हेतु, 417 पैसे प्रति यूनिट की दर से	50 प्रति संयोजन
ग्रामीण क्षेत्रों में अमीटरीकृत संयोजन जिनके संयोजित भार 200 वाट तक सीमित हैं (दो कमरों तक तथा टेलीवीजन सुविधा से विहीन)	50 यूनिट हेतु, 310 पैसे प्रति यूनिट की दर से	45 प्रति संयोजन

टीप : न्यूनतम प्रभार – इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये किसी प्रकार के न्यूनतम प्रभार लागू न होंगे।

एलवी–1 श्रेणी हेतु विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें

(क) बिलिंग के प्रयोजन से कतिपय झुग्गी–झोपड़ी के समूहों से संबद्ध वितरण ट्रांसफार्मर मीटर में अभिलिखित की गई विद्युत खपत से तत्संबंधी ऊर्जा प्रभारों को उक्त वितरण ट्रांसफार्मर से संयोजित समस्त उपभोक्ताओं के मध्य बराबर–बराबर विभाजित किया जाएगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार बिलिंग हेतु ऐसे उपभोक्ताओं की सहमति भी प्राप्त की जाएगी।

(ख) ऐसे प्रकरण में जहां वास्तविक खपत हेतु ऊर्जा प्रभार न्यूनतम प्रभारों से कम हों, वहां ऊर्जा प्रभारों के प्रति न्यूनतम प्रभारों की बिलिंग की जाएगी। अन्य समस्त प्रभार, जैसा कि वे प्रयोज्य हैं, की बिलिंग भी की जाएगी।

(ग) पूर्व भुगतान उपभोक्ताओं (Prepaid consumers) के प्रकरण में मूलभूत ऊर्जा (basic energy) पर 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट (rebate) लागू होगी तथा अन्य समस्त प्रभारों की गणना प्रयोज्य विद्युत–दर (टैरिफ) पर छूट के बाद की जाएगी। उपभोक्ता जो पूर्व भुगतान मापयंत्र से विद्युत प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करता हो, उसे प्रतिभूति निक्षेप (सुरक्षा निधि) (security deposit) जमा करना आवश्यक न होगा।

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन

तारांकित प्रश्न क्रमांक 638
माननीय विधायक - श्री हरिराम बाई गोविन्द सिंह
सदन में उत्तर देने का दिनांक 21.2.2019

प्रपत्र - "ब"

इस प्रकार अनन्तिम तैयार किये गये देयक की राशि का समायोजन बाद में अनुवर्ती देयक–चक्र (billing cycle) में वास्तविक मापयन्त्र वाचन (meter reading) के आधार पर बनाये जाने वाले देयक में किया जायेगा। ऐसी अनन्तिम देयक प्रक्रिया को एक बार में दो से अधिक मापयन्त्र वाचन चक्रों के लिये जारी नहीं रखा जाएगा। आगामी मापयन्त्र वाचन चक्र के समय भी यदि मापयन्त्र वाचन हेतु उपलब्ध नहीं रहता हो तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को निर्धारित समय एवं दिनांक पर, मापयन्त्र वाचन हेतु अपना परिसर खुला रखने हेतु नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस में निर्धारित किये गये समय पर भी यदि उपभोक्ता द्वारा मापयन्त्र वाचन हेतु उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 163(3) के अन्तर्गत 24 घण्टों की सूचना देकर संबंधित उपभोक्ता का विद्युत प्रदाय विच्छेदित किया जा सकेगा।

8.35 जिस अवधि में मापयन्त्र (मीटर) कार्यरत नहीं रहता हो, उस अवधि के लिए विद्युत प्रभार की वसूली हेतु देयक निम्न प्रक्रिया के अनुसार तैयार किया जाएगा :

(अ) यदि जांच मापयंत्र (check meter) उपलब्ध हो तो उक्त वाचन (reading) का उपयोग खपत के आकलन हेतु किया जा सकेगा।

(ब) ऐसे प्रकरण में जहां मुख्य मापयंत्र (main meter) त्रुटिपूर्ण हो तथा जांच मापयंत्र (check meter) स्थापित न किया गया हो या त्रुटिपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयन्त्र चक्रों के आधार पर किये गये मापयन्त्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर लिया जाएगा। तथापि, यदि मापयन्त्र संयोजन तिथि से तीन माह के भीतर त्रुटिपूर्ण होना पाया जाता हो तो विद्युत की मात्रा का आकलन नवीन मापयंत्र द्वारा तीन मापयंत्र वाचन–चक्रों की औसत मासिक खपत के आधार किया जा सकता है, जो इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत किया जा सकेगा कि यदि अनुज्ञप्तिधारी के मतानुसार प्रश्नाधीन माह के अन्तर्गत उपभोक्ता की स्थापना के अन्तर्गत ऐसी परिस्थितियां हैं जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ–साथ उपभोक्ता के लिये भी अन्यायपूर्ण थीं, उक्त अवधि के दौरान प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा का निर्धारण, अति उच्चदाब/उच्चदाब प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय क्षेत्रीय वृत्त कार्यालय द्वारा व निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि उपभोक्ता ऐसे निर्धारण से सन्तुष्ट न हो तो अति उच्चदाब/उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में वह स्थानीय क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी तथा निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में उपसंभाग के प्रभारी अधिकारी को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकेंगे जिनका निर्णय इस संबंध में अन्तिम होगा।

(स) अनुज्ञप्तिधारी, त्वरित उचित आकलन के अभाव में उपभोक्ता को पिछले तीन मापयन्त्र वाचन चक्रों के औसत मासिक आधार पर अनन्तिम देयक (provisional bill) जारी कर सकेगा जो बाद में किसी अनुवर्ती तिथि को पुनरीक्षण के अध्यधीन होगा।

8.36 अनुज्ञप्तिधारी, दोषपूर्ण मापयन्त्रों (मीटरों) के प्रतिस्थापन (replacement) के बारे में पद्धति, प्रक्रिया और उत्तरदायित्व का एक विस्तृत अभिलेख तैयार करेगा।

सत्य प्रतिलिपि

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल